

फर्ड अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण  
सदीक

बनाम

अप्रार्थीगण  
उस्मान बगै.

किरम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. / 09 / 2017

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
18.12.17	<p>यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री हनुमानराम मण्डा ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है।</p> <p>वकुलाय प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थी सं. 01 से 05 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि मौजा सोमणा के खेत ख.नं. 912 रकबा 14.06 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.01.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक कलक्टर</b> (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 24-1-18 पीठासीन अधिकारी की मितिमें में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 12-2-18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 12-2-18 पीठासीन अधिकारी की मितिमें में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 1.6.18 को प्रस्तुत करें।</p>	

06-11-18 पत्रावली समाप्त आप के डाटा शीटि 24.01.18 के पत्रावली पत्रावली 1.6.18 को प्रस्तुत करें।  
पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता  
पीठासीन अधिकारी की मितिमें में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 06.03.18 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

6.3.19

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/ब्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31.5.19...को प्रस्तुत करें।

(H.V.)

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

31.5.19

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/ब्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 31.7.19...को प्रस्तुत करें।

(H.V.)

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

31.7.19

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/ब्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25.9.19...को प्रस्तुत करें।

(H.V.)

25/9

वकुलाम उपा. क्षतिवदी सं. 1 से 3 की ओर फिरो 8  $\frac{12}{17}$  को एड प्रॉप्यरु मप वफावताना पेंच कर ल्याग कर्पे पर को कोपति जाहि नही की है। जो राशि है। पञ्चवती वाने वजादा तलबी पेंच एके तलबी जाही दोन फिरोड 13/11/19 को पक्ष है।

(H.V.)

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

13.11.19

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/ब्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 13.12.19...को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

13.12.19

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/ब्रमण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 12.2.20...को प्रस्तुत करें।

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट) (नियम 28)

न्यायालय..... बनाम.....  
प्रकरण की किस्म..... वर्ष.....  
प्रकरण की संख्या.....

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
13/20	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी जी मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 16/4/20 को प्रस्तुत करें।</p>	
16/4/20	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>कोरोना/लॉकडाउन</p> <p>पीठासीन अधिकारी जी मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 18.5.20 को प्रस्तुत करें।</p>	
18.5.20	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>कोरोना/लॉकडाउन</p> <p>पीठासीन अधिकारी जी मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 25.6.20 को प्रस्तुत करें।</p>	
25.6.20	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>कोरोना/लॉकडाउन</p> <p>पीठासीन अधिकारी जी मितिग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 1/7.7.20 को प्रस्तुत करें।</p>	
14/7/20	<p>पञ्जापरी पत्र हुई वज्रलाम डप... आदेशों के पत्रे 6 की तलबी हेतु एड अवसर कोरे जावु जो पक्षीत प्रवीडि डिपा प्रता है पञ्जापरी वामने तलबी दि 20/8/20 को पत्रा है</p>	

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

तारीख

20/8/20

वकील शायी उषा - अशायी लॉ 1 से 3  
 को जेरे से जताव प्रपत्र पैका डूक  
 (जोशी प्रति वकील शायी को दिलाई गई)  
 वकील शायी अशायी लॉ 4 से 6 को  
 तलकी देतु लखन तलताका पैका कि  
 जो जारी हो मिनल डिप्ट 7/10/20  
 को पैका हो

*[Handwritten signature]*  
 प्रकाश/पक्षकारान के अधिवक्ता

7.10.20

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश  
 प्रकाश पर मय हुए हैं, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 20.11.20 को  
 प्रस्तुत करें।

प्रकाश/पक्षकारान के अधिवक्ता

26.11.20

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश  
 प्रकाश पर मय हुए हैं, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 21.11.20 को  
 प्रस्तुत करें।

प्रकाश/पक्षकारान के अधिवक्ता

21.12

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश  
 प्रकाश पर मय हुए हैं, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 22.3.22 को  
 प्रस्तुत करें।

प्रकाश/पक्षकारान के अधिवक्ता

22.2

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश  
 प्रकाश पर मय हुए हैं, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 23.4 को  
 प्रस्तुत करें।

प्रकाश/पक्षकारान के अधिवक्ता

23/21

प्रकाश/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अवकाश  
 प्रकाश पर मय हुए हैं, इसलिए प्रकरण  
 उनके समक्ष दिनांक 26.05-21

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

### (नियम 28)

न्यायालय.....


बनाम.....

प्रकरण की किस्म.....

प्रकरण की संख्या.....

वर्ष.....

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
26/5/21	<p>अभ्यार/पक्षकारान क आघवण</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग मे/अबण प्रकाश पर पत्र भेजे हैं, हसलिए प्रकषण उनके समक्ष दिनांक 5/07/21 पर प्रकषण करें।</p>	
5/07/21	<p>अभ्यार/पक्षकारान क आघवण</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग मे/अबण प्रकाश पर पत्र भेजे हैं, हसलिए प्रकषण उनके समक्ष दिनांक 5/8/21 पर प्रकषण करें।</p>	
5/8/21	<p>पञावली सन्तुल व कुलाप</p> <p>उपस्थित प्रतिवादी सीलिया 84</p> <p>TOR जयल की पापी लफ्फन</p> <p>नाकिल अया हाफ जी नाकिल</p> <p>पञावली 81 अथ प्रतिवादी जयल</p>	

  
 जयल क कलाप  
 (अधीन) जयल

से लंपा 5 व 6 के सम्बन्ध  
वमील वादी आप की पेश  
की। पडावली वादी कतलप  
तलमी हेतु दिनांक 03.09.21

को पेश की

सि/   
 (आ.सं. 102/व.सं. 102/अ.सं. 102)

पडावली सम्बन्धी कतलप

उपस्थित सतिवादी से लंपा

5 व 6 की तलमी हेतु

अपार पक्ष वतिल वादी को

दियाप्त क्षेत्र इस न्यायद्वारा मे

एक अल्प अवसर दिया

प्राप्त पडावली सम्बन्धी कतलप

तलमी हेतु दिनांक 18.10.21

को पेश की

सि/   
 (आ.सं. 102/व.सं. 102/अ.सं. 102)

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑ.  
(नियम 28)

न्यायालय.....

प्रकरण की किस्म.....

प्रकरण की संख्या.....

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित अ
18 <sup>10</sup> / <sub>21</sub>	<p>पत्रावली सल्लुना व कुल पत्रावली जल झा. के पापना में दिनांक 30 को पेश की जा</p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p>
30 <sup>12</sup> / <sub>21</sub>	<p>पत्रावली सल्लुना सतिचाई 5 व 6 को लकी हेड अवसर और पाघा 50 ए अतिम अवसर दिना पत्रावली दिनांक 7.3.22 की</p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p> <p>पक्षकार/पक्षकारों के अधिकारता</p>
7 <sup>3</sup> / <sub>22</sub>	<p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/भ्रमण अवकाश का यह लिए है. इसलिए प्रकरण उनके पास रिक्त. 4/5/22 को प्रस्तुत की।</p>

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश  
109/17

तारीख

4/5/22

अध्यापक/अध्यापिका का प्रेषण  
द्वार संधि का कार्यस्थल  
पीठासीन अधिकारी के आदेश  
व्यवस्थापक पर  
उक्त कार्य दिनांक 13/4/22

13/6/22

अध्यापक/अध्यापिका का प्रेषण  
पीठासीन अधिकारी के आदेश  
व्यवस्थापक पर कार्य है, इसलिए प्रेषण  
उक्त कार्य दिनांक 13/6/22

17/6/22

पगावली मूल वाद के साथ चेष  
हुई प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल  
वाद पक्षकारों के तदर्थ राजीनामा  
हो जाना से जरिये विशाल खारिज  
हो चुका है। वाद के अभाव में  
प्रार्थना पत्र को चलाने का औचित्य  
कायम नहीं रहा है।  
अतः प्रार्थना पत्र अधीनधारण  
212 RA में खारिज किया  
जाता है। प्रार्थना पत्र मूल वाद के  
साथ नहीं होकर कार्रवाई कर  
रहे।

अधीनधारण  
अधीनधारण  
(ए.डी.ओ.) जायल

प्रार्थना पत्र एडमिटर  
द्वारा क्षेत्राधिकार  
द्वारा प्रयाप्त मुद्रांक  
द्वारा अंकित तथ्य  
द्वारा मियाद वाहर  
द्वारा प्रार्थना पत्र  
है। ज. ध.  
ही. बनाया  
प्रार्थना पत्र  
द्वारा सी.पी.सी. के  
द्वारा प्रार्थना पत्र  
द्वारा इस आशय  
प्रस्तुत कर रहा  
किया गया है।  
द्वारा प्रार्थना पत्र  
7. ध. गा.  
बनाया गया  
द्वारा राज्य सरकार  
द्वारा प्रार्थना पत्र  
द्वारा प्रार्थना पत्र  
द्वारा भूमि विक्रय  
द्वारा प्रार्थना पत्र में  
अंकित है

Doss

यू.पी.

पेरा सं. 5

पेरा सं. 5  
गरीब है  
15